सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 25, गुरूवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 17, 2019 *Asvina 25, Thursday, Saka 1941–October 17, 2019*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 03, 2019

संख्या प.2(2)न्याय/2019 :-राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार एतद्व्दारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(6) न्याय/1974 दिनांक 14.08.1974 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमायें, निम्नानुसार पुन: नियत करती है:-

क्र.स	न्यायालय का नाम	जिला	क्षेत्रीय अधिकारिता की पुनरीक्षित सीमाएँ/क्षेत्राधिकार
1.	सिविल न्यायाधीश (उत्तर), कोटा	कोटा	नगर निगम कोटा के वार्ड संख्या 1 से 16 तक का क्षेत्र
2.	सिविल न्यायाधीश (दक्षिण), कोटा	कोटा	नगर निगम, कोटा के वार्ड संख्या 17 से 32 तक का क्षेत्र
3.	अपर सिविल न्यायाधीश (उत्तर), संख्या 1, कोटा	कोटा	नगर निगम कोटा के वार्ड संख्या 33 से 48 तक का क्षेत्र
4.	अपर सिविल न्यायाधीश (दक्षिण), संख्या 1, कोटा	कोटा	नगर निगम अजमेर के वार्ड संख्या 49 से 60 तक का क्षेत्र तथा तहसील लाडपुरा कोटा (नगर निगम के वार्डों की परिसीमा को छोडकर तहसील लाडपुरा के अन्य समस्त ग्राम)

राज्यपाल के आदेश से ,
महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख शासन सचिव।

1819

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।